संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ

संस्कृति निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निम्न योजना हेतु उ0प्र0 के योग्य/प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु निम्नवत् निर्धारित प्रारूप पर आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं–

1. **योग्य/प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक सहायता** ऐसे योग्य एवं प्रतिशाली छात्र जो भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, नाट्य, दृश्य कला, लोक एवं पारम्परिक कलायें, उपशास्त्रीय संगीत एवं दुर्लभ कलाओं में प्रदेश के बाहर किसी अन्य प्रदेश में स्थित लब्ध प्रतिष्ठ प्रशिक्षण संस्थान में व्यवसायिक उपाधि हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें हो, को **वास्तविक ट्यूशन फीस अथवा रू0 25,000/– जो भी कम हो** तक की आर्थिक सहायता के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी।

इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त किये जाने हेतु वांछित सूचनाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित प्रपत्र के आवेदन पत्र पर अंकित कर प्रेषित किया जाना है। केवल निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर ही आवेदन मान्य होंगे। आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने वाले संस्थान के प्रधानाचार्य/संबंधित कला विधा के डीन/हेड से प्रशिक्षण संस्थान के छात्र होने के प्रमाण के साथ संस्तुत होना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 नवम् तल, जवाहर भवन, लखनऊ में जमा किये जायेंगे। आवेदन पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 20 जनवरी, 2015** होगी। अपूर्ण एवं प्राधिकृत अधिकारी की संस्तुति रहित एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं होगा।

आवेदन–पत्र का प्रारूप वेबसाइट–ीजजचरू्ध्ध्नचबनसजनतमण्नचण्दपबण्पद्ध्संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ से प्राप्त किया जा सकता है।

नोटः– (1) इस योजना के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय की गई वास्तविक ट्यूशन फीस अथवा रू0 25000.00 की सीमा तक जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति छात्र द्वारा प्रस्तुत फीस प्रमाणकों के आधार पर, उत्तीर्ण होने की दशा में, नियमानुसार की जायेगी।
(2) विशेष जानकारी/विवरण हेतु निदेशक, संस्कृति निदेशालय, नवम् तल जवाहर भवन, लखनऊ से व्यक्तिगत अथवा फोन नं0–0522–2286538 पर सम्पर्क कर सकते है।

निदेशक
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
नवम् तल, जवाहर भवन,
लखनऊ

............क्रमशः आवेदन पत्र पृ0—2

<u>आवेदन प्रपत्र</u>

संस्कृति विभाग, उ.प्र.

योग्य/प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक सहायता

1. कला/कला की विधा जिसमें पिछले एक वर्ष से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो..........................
2. प्रार्थी/प्रार्थिनी का नाम ....
3. जन्म तिथि (आयु प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है)..................................
4. प्रार्थी/प्रार्थिनी के पिता/पति का नाम ....
5. प्रार्थी/प्रार्थिनी का वर्तमान पता(पत्राचार हेतु) ....
   ....
6. प्रार्थी/प्रार्थिनी का स्थायी पता...
   ....
7. तिथि जब से प्रार्थी/प्रार्थिनी उ.प्र. का निवासी है ....
8. यदि अनुसूचित जाति/जनजाति के हों...
   (यदि हैं, प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. शैक्षिक योग्यता...

विद्यालय का नाम एवं पता	विद्यालय में प्रवेश एवं विद्यालय छोड़ने की तिथि	परीक्षाओं का विवरण, जिन्हें उत्तीर्ण किया जो

10. अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय...
    (जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा जारी किया गया आय प्रमात्र संलग्न करें)
11. लब्धप्रतिष्ठ शिक्षण संस्थान का नाम एवं पता जो राज्य के...
    बाहर स्थित हो तथा जिसमें आप द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा हो...
    (क) उपाधि/प्रशिक्षण का नाम जिसमें प्रवेश लिया गया हो...
    (ख) प्रमाण पत्र/अभिलेख की छायाप्रति जो प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के समय...
    जमा किया गया हो...
12. आप द्वारा अपने कला की दी गयी प्रस्तुतियों का विवरणे...
13. प्राप्त किये गये पुरस्कारों का विवरण(यदि कोई हो)..

    1...
    2..
    3..
    4...

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक यह शपथ लेता/लेती हूं कि उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही है । यदि कोई विवरण गलत हों, तो शासन को अधिकार होगा कि मुझे प्रशिक्षण हेतु प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता समाप्त कर दी जाये और जो भी धनराशि मेरे प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की गयी है, वह भूमि कर के बकाये की तरह वसूल कर ली जायें ।

दिनांक   प्रार्थी/प्रार्थिनी के हस्ताक्षर

<u>टिप्पणी :– निम्न प्रमाण पत्र अवश्य लगायें तभी आवेदन पत्र पर विचार होगा :–</u>

1. कला प्रशिक्षण प्राप्त करने के प्रमाण ।
2. हाईस्कूल प्रमाण पत्र अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त आयु प्रमाण पत्र ।
3. जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय सम्बन्धी प्रमाण पत्र ।
4. जिला प्रशासन/की संस्तुति ।
5. प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने वाले संस्थान के प्रधानाचार्य/संबंधित कला विधा के डीन/हेड से आवेदन पत्र छात्र होने के प्रमाण सहित संस्तुत कराया जाना अनिवार्य होगा।
6. विशेष जानकारी/विवरण हेतु निदेशक, संस्कृति निदेशालय, नवम् तल जवाहर भवन, लखनऊ से व्यक्तिगत अथवा ते है।

निदेशक, संस्कृति निदेशालय,

उ0प्र0 ।